न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 32/2019 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री पवन लाभी पुत्र श्री सुरेश लाभी (विक्रेता) निवासी– नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।
2. श्रीमति शकुन्तला पत्नि श्री सुरेश (मालिक) निवासी नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 06.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.03.2019 को दोपहर बाद 05:30 बजे मैसर्सः– पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय निर्माण्र ईकाई पर विक्रेता श्री पवन लाभी पुत्र श्री सुरेश लाभी (विक्रेता) निवासी– नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की निर्माण ईकाई पर खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) 400 ग्राम वजनी के 100 पॉली पैक पैकेट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 4 पॉली पैक 400 ग्राम नमकीन मिक्सचर (गगन) खरीदी। जिसकी कीमत 144 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 पॉली पैक 400 ग्राम नमकीन मिक्सचर (गगन) के पैकेट पर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटों पर चिपकाकर पैकिटों को अलग–अलग एक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

खाकी कागज में लपेट कर पैकिटों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2152 गोंद से चिपकाकर पैकिटों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 29.03.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.04.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1026/एक्ट/2019/678 दिनांक 24.04.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1026/एक्ट/2019/678 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर उत्पाद में उपयोग किये जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल के विशिष्ट नाम का उल्लेख नहीं किये जाने से पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 द्वारा स्वयं एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 के प्रतिनिधि के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे यहां से लिये गये नमूने एफएसएसए 2006 के दिये गये मानक के अनुसार सही पाये गये है। खाद्य पदार्थ नमकीन गगन का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है क्योंकि इसमें एडिबल ऑयल का नाम नहीं दिया गया है, जो ऑयल उपयोग किया गया है वो भी मानक स्तर के अनुरूप पाया गया है। इस नियम की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, भविष्य मे इसकी पुनरावर्ति नहीं होगी। प्रथम बार गलती के लिये श्रीमान जी से निवेदन है कि शास्ति से माफी करने का श्रम करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

प्र0 सं0 : 32/2019 FSSA

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1026/एक्ट/2019/678 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 एवं एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन मिक्सचर (गगन) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) व पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री पवन लाभी पुत्र श्री सुरेश लाभी (विक्रेता) निवासी– नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्रीमति शकुन्तला पत्नि श्री सुरेश (मालिक) निवासी नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा पर 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.11.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/2424-2427
दिनांकः–07.11.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पवन लाभी पुत्र श्री सुरेश लाभी (विक्रेता) निवासी– नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।
4. श्रीमति शकुन्तला पत्नि श्री सुरेश (मालिक) निवासी नई मण्डी रोड, अग्रसेन नगर, दौसा मैसर्स पवन फूड प्रॉडक्टस, ए.वी.एम. स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official